

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Thursday, 20<sup>th</sup> January, 2011/Pausa 30, 1932 (Saka)

No. 105

**Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, New Delhi Distt., New Delhi:-

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly Delhi; Shri Vijay Kumar Malhotra, Shri Shyam Lal Garg, Shri Manoj Shokeen, Dr. S.C.L. Gupta, Dr. Jagdish Mukhi, Shri Mohan Singh Bisht, Shri Dharam Dev Solanki and Ramesh Bidhuri, were detained u/s 65 of Delhi Police Act to maintain law & order and public peace, in the premises of Police Station, Parliament Street, New Delhi at 1200 hours on 18.01.2011.

They were released at 1215 hours from the same place on the same day".

**P. N. MISHRA**  
Secretary

**दिल्ली विधान सभा**

समाचार भाग-2

**विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी**  
बृहस्पतिवार, 20 जनवरी, 2010/पौष 30, 1932(शक)

संख्या-105

**सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई**

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री श्याम लाल गर्ग, श्री मनोज शौकीन, डॉ. एस सी एल गुप्ता, डॉ. जगदीश मुखी, श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री धर्मदेव सोलंकी एवं श्री रमेश बिधुडी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा- 65 के अन्तर्गत कानून एवं व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने के उद्देश्य से 18 जनवरी, 2010 को पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से 12.00 बजे अपराहन गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन, उसी स्थान से अपराहन 12.15 बजे रिहा कर दिया गया।

**पी.एन.मिश्रा**  
सचिव